यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 06 / 2020

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र गणपत,
2. गीता देवी पुत्री गणपत,
3. नन्छी देवी पुत्री गणपत,
4. नानूराम पुत्र गणपत,
5. फूली देवी पत्नी गणपत,
6. भूरा पुत्र ईश्वर,
7. सुरेश कुमार पुत्र गणपत,
8. सीताराम पुत्र गणपत,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, तन खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

बनाम

1. गोपीराम पुत्र बद्री
2. धापा देवी पत्नी बद्री
3. फूलचन्द पुत्र बद्री
4. भैरू पुत्र सोन्या
5. विजयपाल पुत्र बद्री
6. शंकर पुत्र बद्री

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, तन खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 01.04.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ग्राम निन्दोला, तन खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर [illegible] काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा ग्राम निन्दोला, पटवार हल्का खेजरोली–[illegible] ग्राम.नि[illegible] खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7826 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7866 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7874 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7875 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7876 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7888 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7894 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7899 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 3.70 हैक्टेयर स्थित है जो सम्पूर्ण ही प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त भूमियों में से खसरा नम्बर 7866 रकबा 0.48 हैक्टेयर में आवागमन हेतु प्रार्थीगण को रास्ते की अति आवश्यकता है।

प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण दिशा में लगवा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7873 रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसका अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें कच्चा या पक्का निर्माण नही है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 7873 के पूर्वी दिशा की ओर लगवा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नम्बर 7874 तक रास्ता मौके पर चालू है जो निन्दौला रोड से पश्चिमी ओर चारागाह भूमि खसरा नम्बर 7815/8447 व खसरा नम्बर 8056/7949 से होता हुआ खसरा नम्बर 7874, 7878 के उत्तरी ओर तथा खसरा नम्बर 7816, 7815 के दक्षिणी ओर खसरा नम्बर 7874, 7878, 7816, 7815 के मध्य में से होता हुआ पूर्व से पश्चिमी ओर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 7874 तक जाता है जो रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन से दर्ज है। खसरा नम्बर 7866 में आने जाने के लिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण की भूमि व आवासीय मकान में आने–जाने हेतु तथा साधन वगै. लाने ले जाने हेतु कोई रास्ता मौके पर वर्तमान में मौजूद नही है जिस कारण प्रार्थीगण को रास्ते के अभाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीगण का कृषि कार्य करना कठिन हो गया है। प्रार्थीगण की भूमि के मध्य अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि स्थित है। जिसे प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है जिस अभाव में प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा।

प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 7873 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णितानुसार लाल रंग से वर्णित मार्क ए से बी पूर्व से पश्चिम लगभग 132 फीट लम्बाई एवं उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 12 फीट चौडाई में रास्ते की अपनी भूमि में काश्त करने हेतु अति आवश्यकता है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से मार्क ए से बी प्रदर्शित किया गया है। जो नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु सबसे सुलभ रास्ता हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि व आवासीय मकान में वर्णित मद संख्या 1 में आने जाने एवं काश्त हेतु साधन वगै० लाने ले जाने व कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 7873 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाय अनुसार ए से बी लाल रंग से पूर्व से पश्चिम लगभग 132 फीट लम्बाई एवं उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 12 फीट चौडाई की भूमि रा[illegible] प्रार्थीगण की भूमि तक आने जाने हेतु उपलब्ध करवाये जाने हेतु अप्रार्थी [illegible] इसी अनुसार रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर[illegible] आदेशित कर प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को भुगतान करने बाबत् आदेशित करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:31 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तहसीलदार तहसील चौमू से रास्ते के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई।

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट, के अवलोकन एवं उभयपक्षों की ...स पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ...षि कार्य हेतु ही चाहा गया है तथा आवेदक/ प्रार्थी की जोत तक कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नही है एवं तहसीलदार चौमू से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.02.2021 के संलग्न नक्शा ट्रेस एवं सहमति के अनुसार दर्शाया गया रास्ता ही न्यूनतम दूरी का है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक रिपार्ट तहसीलदार चोमू दिनांक 12.02.2021 के अनुसार वाके ग्राम निन्दौला, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 7873 कुल रकबा 0.4700 है0 किस्म चाही 2 में से ल0 44 मी0 X चौ0 4 मीटर = 176 वर्ग मीटर, रास्ते हेतु कुल खातेदारी रकबा 176 वर्ग मीटर भूमि की वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से भूमि कीमत 31360/- रूपये शब्दों में ईकतिस हजार तीन सौ साठ रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चोमू उक्त राशि जमा कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चोमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अभिषेक सुराणा
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner